प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील विविध क्रमांक 182 / 2017

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, सरगुजा– अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, सरगुजा–अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाती विकास, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र. 1 से 3

बनाम

मेसर्स श्री कृष्ण इंडस्ट्रीज द्वारा श्री राकेश बंसल आ. स्व श्री राम अग्रवाल, उम्र– लगभग 36 वर्ष, जवाहर मार्केट, बनारस चौक, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

.... प्रत्यर्थी/वादी

अपीलार्थी हेतु: श्री रमाकांत मिश्रा, उप–महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी हेतु: श्री मनोज परांजपे सहित श्री प्रसून अग्रवाल, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया

पीठ पर आदेश

द्वारा माननीय न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

18/09/2018

1. यह अपील व्यवहार वाद क्रमांक 3–ए/2016 में न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तरीय), नया रायपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 04–08–2017 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के संविदा का विनिर्दिष्ट पालन और क्षतिपूर्ति के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार कर आज्ञप्ति पारित किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादिगण द्वारा वादी को वाद दायर करने की तिथि से वसूली की तिथि तक वार्षिक आधार पर 10% की दर से साधारण ब्याज सहित 2,75,60,020.64 रुपये का भुगतान करने तथा उसके एवज में वादी से 1,49,393 नग स्कूल बैग की आपूर्ति स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है।
2. प्रत्यर्थी–वादी ने संविदा का विनिर्दिष्ट पालन तथा वैकल्पिक रूप से, 2,75,60,020.64 रुपये के क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए मूलतः इस आधार पर वाद दायर किया था, कि दिनांक 15–02–2011 के एनआईटी, प्र.पी.–2 के अनुसार, स्कूल बैग की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की गई थी। वादी की निविदा स्वीकार कर ली गई और दिनांक 13–04–2011 को कुछ नियमों और शर्तों के साथ कार्य आदेश जारी किया गया, जो वादी को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए, उसी दिनांक को वादी और प्रतिवादी के बीच 3,03,555 नग स्कूल बैग की आपूर्ति के संबंध में पृथक से एक करार निष्पादित किया गया (प्र.पी–8–सी)। वादी का वाद यह है कि वादी ने उक्त करार करने के बाद, आवश्यक मात्रा में स्कूल बैग

तैयार किए, जिनकी आपूर्ति समय–समय पर की गई। परंतु जब अंतिम खेप को आपूर्ति के लिए प्रतिवादी के गोदाम में ले जाया गया, तो उसमें से केवल 29,612 नग स्कूल बैग स्वीकार किए गए और शेष 1,49,393 नग बैग स्वीकार नहीं किए गए और वापस कर दिए गए। वादी ने शेष स्कूल बैग को लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्हें लेने से मना कर दिया गया, तथा इसके तुरंत बाद ही, दिनांक 14–07–2011 को प्रतिवादी द्वारा एक और पत्र जारी किया गया, जिसमें स्कूल बैग की आपूर्ति की मात्रा 3,03,555 नग से घटाकर 1,54,162 नग कर दी गई। इससे पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। स्कूल बैग की शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए वादी द्वारा एक विधिक सूचना पत्र दिया गया, जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वादी ने वाद दायर किया।

3. प्रतिवादिगण ने इस दावे का प्रथमतः इस आधार पर विरोध किया, कि कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011, प्र.पी–10(सी) में उल्लेखित शर्तें क्र. 4 और 5, पक्षकारों के बीच दिनांक 13–04–2011 को निष्पादित करार प्र.पी–8(सी) के आपूर्ति की शर्तों का हमेशा से ही एक हिस्सा था, जिसके तहत प्रतिवादीगण के पास एकपक्षीय रूप से आपूर्ति की संख्या को बदलने का अधिकार था। प्रतिवादीगण ने इसी संविदात्मक अधिकार का अवलंबन लेते हुए आपूर्ति की मात्रा कम कर दी, इसलिए वादी स्कूल बैग की शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट पालन हेतु आज्ञप्ति की मांग नहीं कर सकता। दिनांक 09–07–2011 को स्कूल बैग की शेष मात्रा की आपूर्ति करने के प्रयास के बारे में वादी के विशिष्ट अभिवचनों के जवाब में, प्रतिवादीगण ने यह तर्क किया कि वादी द्वारा ऐसी कोई आपूर्ति नहीं की गई थी और वास्तव में, वादी ने केवल 29,612 नग स्कूल बैग की आपूर्ति की थी, जिसके संबंध में वादी को पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने 8 वाद प्रश्न विरचित किए, जो इस प्रकार थेः–

1. क्या प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/04/2011 में उल्लेखित शर्तों का, वादी एवं प्रतिवादी क्र. 3 के मध्य निष्पादित करार दिनांक 13/04/2011 में उल्लेखित शर्तों से नवीकरण हो गया था ?

2. क्या वादी आदेश दिनांक 13/04/2011 में दर्शित स्कूल बैग (बस्ता) मात्रा 303555 में से शेष 149393 नग स्कूल बैग विहित समयावधि में प्रदाय करने के लिए रजामंद एवं तत्पर था ?

3. क्या प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 14/07/2011 वादी पर बंधनकारी नहीं है?

4. क्या वादी को प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 14/07/2011 के द्वारा आदेश दिनांक 13/04/2011 एवं करार दिनांक 13/04/2011 में किये गये संशोधन से आर्थिक क्षति एवं नुकसान कारित हुआ? यदि हॉ? तो प्रभाव ?

5. क्या वादी, प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 13/04/2011 एवं करार दिनांक 13/04/2011 का पालन प्रतिवादीगण से करा पाने का अधिकारी है ?

6. क्या वादी प्रतिवादीगण से संशोधित आदेश दिनांक 14/07/2011 के कारण हुई क्षति एवं नुकसान प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है ?

7. क्या वादी उक्त क्षति एवं नुकसान की रकम पर ब्याज पाने का अधिकारी है?

8. सहायता एवं व्यय ? ”

5. पक्षकारों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आज्ञप्ति पारित किया। हालाँकि, वाद प्रश्न क्र. 1 पर यह निष्कर्ष दिया गया कि कार्य आदेश दिनांक 13-04-2011 प्र.पी-10, के खंड क्र. 4 और 5 में निहित शर्तें, पक्षकारों के बीच उसी तिथि को निष्पादित करार में निहित थीं, यह भी निष्कर्ष दिया गया कि आदेश दिनांक 14-07-2011 वादी पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि वह 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद जारी किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद प्रश्न क्र. 2 को वादी के पक्ष में यह निहित किया की वादी हमेशा संविदा की शर्तों के अनुसार 1,49,393 नग स्कूल बैग की शेष मात्रा की आपूर्ति करने के लिए रजामंद और तत्पर था, लेकिन प्रतिवादीगण ने स्कूल बैग की प्रस्तावित शेष मात्रा को स्वीकार न करके संविदा का उल्लंघन किया। हालांकि, वाद प्रश्न क्र. 6 में विद्वान विचारण न्यायालय ने यह दृष्टिकोण था कि चूंकि वादी को विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति प्रदान करने का हकदार माना गया है और इसके अलावा क्षतिपूर्ति देने के लिए कोई विशिष्ट मामला नहीं बनता है, इसलिए क्षतिपूर्ति के लिए कोई आज्ञप्ति देने से इनकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपील की सूचना के पश्चात, प्रत्यर्थी-वादी ने आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति के उक्त भाग जिसमें वादी के क्षतिपूर्ति के दावे को खारिज कर दिया गया, से व्यथित होकर एक प्रत्याक्षेप अपील दायर की।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति में पारित विनिर्दिष्ट पालन हेतु निर्देश की सत्यता और वैधता के विरुद्ध विद्वान उप-महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष विस्तार से तर्क किया। उन्होंने तर्क किया कि वाद प्रश्न क्र. 1 पर विद्वान विचारणीय न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि कार्य आदेश दिनांक 13-04-2011 के खंड 4 और 5 पक्षकारों के बीच आपूर्ति के करार में अंतर्निहित थे, इसलिए यह भी निष्कर्ष दिया जाना चाहिए था कि स्कूल बैग के आपूर्ति की अवधि और मात्रा में परिवर्तन करना अपीलार्थीगण//प्रतिवादीगण के अधिकार के अधीन था। विद्वान उप-महाधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रत्यर्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत निविदा को कार्य आदेश दिनांक 13-04-2011 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया था। वादी ने उक्त कार्य आदेश पर कोई आपत्ति नहीं किया, बल्कि उसने इसे स्वीकार कर लिया। विद्वान उप-महाधिवक्ता के अनुसार, दिनांक 13-04-2011 को पृथक से करार करने का उद्देश्य निष्पादन कार्य आदेश के खंड 4 और 5 को अपवर्जित करने का नहीं, बल्कि केवल आपूर्ति की शर्तों और नियमों को और अधिक विशिष्ट बनाने का था ताकि पक्षकारों के बीच भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। दिनांक 13-04-2011 के लिखित करार में स्पष्ट रूप से कोई शर्त नहीं है और न ही यह विवक्षित है कि पक्षकारों का उद्देश्य आपूर्ति की शर्तों और नियमों से कार्य आदेश दिनांक 13-04-2011 में उल्लेखित शर्त क्र. 4 और 5 को अपवर्जित करने का था। वादी को हमेशा से यह जानकारी थी कि प्रतिवादी को करार के तहत स्कूल बैग की आपूर्ति के समय और मात्रा के संबंध में शर्तों को एकपक्षीय रूप से बदलने का अधिकार था और

पक्षकारों के बीच इस बात पर आपसी–सहमति के साथ, वादी ने समय–समय पर स्कूल बैग की आपूर्ति की और भुगतान स्वीकार किया। यदि वादी को कोई आपत्ति थी, तो उसे प्रतिभूति राशि वापस नहीं लेनी चाहिए थी। वादी ने वास्तव में आपूर्ति किए गए स्कूल बैग के बदले भुगतान स्वीकार कर लिया तथा प्रतिभूति राशि वापस ले ली, जो प्रमाणित करता है कि वादी ने प्रतिवादीगण की कार्रवाई में पूरी तरह से सहमति जताई थी और इसलिए, संविदा संबंधी लेनदेन समाप्त होने के बाद, वह इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि स्कूल बैग की शेष मात्रा स्वीकार की जाए।

8. विद्वान उप–महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह है कि वादी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके यह प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि वह 90 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर 3,03,555 नग स्कूल बैगों की आपूर्ति हेतु संविदा के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए रजामंद और तत्पर रहा। यह तर्क किया गया कि चूंकि आपूर्ति आदेश दिनांक 13–04–2011 को जारी किया गया था और करार निष्पादित किया गया था, इसलिए 90 दिनों की अवधि दिनांक 12–07–2011 को समाप्त हो गई और करार की शर्तों के तहत, वादी को दिनांक 12–07–2011 को या उससे पहले पूरी मात्रा की आपूर्ति करनी थी। लेकिन वादी दिनांक 12–07–2011 तक पूरी मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा। प्रतिवादीगण के जवाबदावा के अभिवचनों के आधार पर यह तर्क किया गया कि दिनांक 09–07–2011 को मात्र 29,162 नग स्कूल बैग की आपूर्ति की गई थी, और प्रतिवादीगण के गोदाम में वादी या उसके अभिकर्ताओं द्वारा कोई अन्य आपूर्ति किया जाना तो दूर की बात है उन्होंने इसका प्रस्ताव भी नहीं दिया। वादी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया था और उस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उन्होंने यह तर्क किया कि यदि ऐसा था, तो वादी को तुरंत अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी के अभिलेख में दिनांक 12–07–2011 से पहले का कोई दस्तावेज नहीं है कि 09, 10 और 11 तारीख को वादी द्वारा लिखित में कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वादी का दावा यह है कि उसने दिनांक 09–07–2011 को गोदाम में 1,49,393 नग स्कूल बैग भेजे थे, जो न ही विश्वसनीय है और न किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। इस संबंध में वादी के स्वयं का मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, तथा यह सोच समझकर बाद में जोड़ा गया है क्योंकि वादी के दिनांक 11–07–2011 के पत्र में प्रतिवादीगण के कार्यालय में प्राप्ति की कोई पावती नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि रविंद्र तिवारी, वा.सा.–3 के साक्ष्य पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वादी उक्त ठेकेदार को परिवहन शुल्क के भुगतान का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश करने में विफल रहा है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि वास्तव में, वादी ठोस साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर सका कि दिनांक 09–07–2011 तक स्कूल बैगों की पूरी मात्रा तैयार कर ली गई थी, और भारतीय नौवहन रजिस्ट्रार, भोपाल के कार्यालय के प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर विधिवत प्रमाणित कर दिया गया था। वादी का मामला गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाणपत्रों पर आधारित है, जिनमें से गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाणपत्र, प्र.पी–19 और प्र.पी–20 पर दिनांक 178/07/2011 अंकित है, जिसका अर्थ है कि 12–07–2011 तक शेष 1,49,393 नग स्कूल बैग आपूर्ति के लिए तैयार भी नहीं थे। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आपूर्ति के समय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि स्कूल बैग की आपूर्ति के साथ गुणवत्ता निरीक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आवश्यक था, जबकि वादी ने गुणवत्ता निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 12–07–2011 के बाद प्रस्तुत की। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और आज्ञप्ति को अपास्त कर वादी के वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी–वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 के खंड 4 और 5 वादी को स्वीकार्य नहीं थे जिसके संबंध में वाद–पत्र में ही स्पष्ट रूप से अभिवचन किया गया है। निविदा सूचना में वे दो शर्तें शामिल नहीं थीं, लेकिन कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 में वे दो शर्तें संख्या 4 और 5 निर्धारित थीं, इसलिए वादी ने आपत्ति उठाई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक अलग करार प्र.पी–8–सी निष्पादित करने का अवसर उत्पन्न हुआ, जिसमें ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं थी, जैसा कि कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 के खंड 4 और 5 में उल्लिखित है। विचारण न्यायालय ने न केवल पक्षकारों के बीच हुए करार की गलत व्याख्या की है, बल्कि इस बात को भी नजरअंदाज किया है कि जहां आपूर्ति की शर्तें लिखित रूप में दी गई हैं, वहां करार में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के अलावा कोई अन्य शर्तें एक पक्ष द्वारा दूसरे पर एकपक्षीय रूप से अधिरोपित नहीं कर सकता।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यद्यपि प्रत्याक्षेप अपील दायर करते समय, वाद प्रश्न क्र. 1 के निष्कर्षों पर विशिष्ट प्रत्याक्षेप आपत्ति स्पष्ट रूप से नहीं उठाई गई है, फिर भी व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 33 के तहत अपीलीय न्यायालय में निहित शक्तियों के अनुसार, इस न्यायालय को उक्त निष्कर्ष की सत्यता पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में ***पन्ना लाल बनाम बॉम्बे राज्य***[1] और ***दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बनाम बसंती देवी और अन्य*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा ***भवरलाल बनाम मथुरा प्रसाद***[2] मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय का हवाला दिया है। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और निर्णयों का आधार लेते हुए, यह प्रार्थना किया गया है कि यह न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा विरचित वाद प्रश्न क्र. 1 पर निष्कर्ष की सत्यता की भी जांच करे। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि तर्क हेतु यदि यह मान भी लिया जाए कि दिनांक 13–04–2011 के कार्य आदेश में निर्धारित खंड 4 और 5 पक्षकारों के बीच करार में निहित थे, लेकिन तब भी 90 दिवस की समयावधि जिसके भीतर वादी को आपूर्ति की जानी थी, तथा वादी के अनुसार उक्त अवधि में करार के अनुसार स्कूल बैग की पूरी मात्रा तैयार कर आपूर्ति के लिए भेजी भी गई, परंतु कुछ बैग की मात्रा स्वीकार किए बिना वापस कर दिया गया, के समाप्ति के बाद उन्हें एकपक्षीय रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अगला तर्क यह है कि वादी को करार के खंड 6 के अनुसार अवसर दिए बिना खंड 4 और 5 को पहले अवसर पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि यह मान भी लिया जाए यद्यपि स्वीकार नहीं किया गया है कि वादी 90 दिवस की अवधि के भीतर आपूर्ति करने में विफल रहा, तो वादी के पास खंड 6 को लागू करने का विकल्प था, क्योंकि करार में आपूर्ति की अवधि को उचित शास्ति निर्धारित करते हुए बढ़ाने का प्रावधान था, क्योंकि समय संविदा का सार नहीं था। इसके बाद यह तर्क किया गया कि वास्तव में, प्रतिवादीगण द्वारा अपने पत्र दिनांक 14–07–2011 के माध्यम से स्कूल बैग की आपूर्ति की मात्रा को कम करने का एकमात्र कारण दिनांक 13–01–2011 को

[1] एआईआर 1963 एससी 1516
[2] एआईआर 1962 एमपी 141

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पहले जारी किए गए शासकीय निर्देश थे, न कि यह कि वादी स्कूल बैग की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा। उनके अनुसार, प्रतिवादी शासकीय प्रतिष्ठान है और यह प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आपूर्ति की मात्रा को कम करने का निर्णय वादी की ओर से 90 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति की शर्तों को पूरा न करने के कारण लिया गया था। यहां तक कि वादी द्वारा दिए गए विधिक सूचना के जवाब में भी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया था और जब वादी द्वारा वाद दायर किया गया था, तभी 90 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर स्कूल बैग की पूरी मात्रा की आपूर्ति न किए जाने के संबंध में बाद में बचाव प्रस्तुत किया गया था, जिससे वादी के वैध दावे का खंडन किया जा सके।

10. रजामंदी और तत्परता के विषय में प्रत्यर्थी–वादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि वादी का न केवल वाद–पत्र में स्पष्ट रूप से अभिवचन है, बल्कि वादी ने स्वयं राकेश बंसल, वा.सा–1 और रविन्द्र तिवारी, वा.सा.–4 के विश्वसनीय साक्ष्य भी पेश किए हैं कि वादी ने दिनांक 09–07 2011 को गोदाम में स्कूल बैग की शेष मात्रा भेजी थी, लेकिन केवल 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए गए और शेष वापस कर दिए गए। वादी ने अभिषेक शर्मा, वा.सा.–6 के साक्ष्य से यह भी प्रमाणित किया है कि वादी द्वारा तैयार किए गए स्कूल बैगों की पूरी मात्रा का निरीक्षण दिनांक 08–07–2011 तक पूर्ण कर लिया गया था, जो वादी के इस दावे का समर्थन करता है कि स्कूल बैगों की पूरी मात्रा तैयार की गई थी और गुणवत्ता निरीक्षण के बाद, इसे दिनांक 09–07–2011 को प्रतिवादी के गोदाम पर आपूर्ति हेतु भेजा गया था। प्रत्यर्थी–वादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि वादी ने दिनांक 11–07–2011 का पत्र भी पेश किया जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद, पत्र को डाक के माध्यम से भेजा गया और उसके बाद दिनांक 12–07–2011 को एक और पत्र भेजा गया, जिसकी प्राप्ति से इनकार नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने न तो गोदाम में रखे गए डिलीवरी रजिस्टर प्रस्तुत किए और न ही गोदाम के चौकीदार का परीक्षण कराया है, जिसने 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए थे, इसलिए, संभावनाओं कि दृष्टिकोण से, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए सही निष्कर्ष दिया है कि वादी हमेशा करार के अपने दायित्वों को निभाने के लिए रजामंद और तत्पर था और इसलिए, आज्ञप्ति प्रदान की है। प्रत्यर्थी–वादी के विद्वान अधिवक्ता ने क्षतिपूर्ति के विषय में अपनी प्रत्याक्षेप–अपील पेश की है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि प्रतिवादीगण ने स्कूल बैग की आपूर्ति स्वीकार करने से गलत तरीके से इनकार कर दिया, जिससे वादी को 2,84,39,806/– रुपये का नुकसान हुआ इसलिए विचारण न्यायालय को वादी के पक्ष में उचित क्षतिपूर्ति का अनुतोष देना चाहिए था।

11. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त तर्कों पर गहन विचार कर मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।

12. इस अपील में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं:

(1) क्या प्रत्यर्थी/वादी आदेश 41 नियम 22 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत प्रत्याक्षेप–आपत्ति दायर किए बिना अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के पक्ष में दिए गए वाद प्रश्न क्र. 1 के संबंध में दर्ज निष्कर्ष को चुनौती दे सकता है?

(2) यदि प्रथम बिन्दु का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 के खंड 4 एवं 5, दिनांक 13–04–2011 (प्र.पी–8) के करार की शर्तों एवं नियमों में निहित रूप से शामिल हैं?

(3) यदि दिनांक 13–04–2011 के कार्य आदेश की खंड 4 और 5 पक्षों के बीच संविदा की शर्तों का हिस्सा है, तो क्या यह विधि के अधीन प्रवर्तनीय है?

(4) यदि यह माँ भी लिया जाए कि दिनांक 13–04–2011 के कार्य आदेश के खंड 4 और 5 विधि अंतर्गत प्रवर्तनीय हैं, तो क्या इसे शास्ति खंड 6 के अनुपालन के बिना अपीलार्थी द्वारा पहले विकल्प के रूप में लागू किया जा सकता है। अर्थात, क्या करार के तहत आपूर्ति की शर्तों और नियमों में परिवर्तन करार के अनुरूप था?

(5) क्या यह निष्कर्ष अवैध है कि वादी संविदा के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए रजामंद और तत्पर था?

(6) क्या वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए आज्ञप्ति के साथ–साथ क्षतिपूर्ति का भी हकदार है?

13. वाद प्रश्न क्र. 1 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की सत्यता पर विद्वान उप–महाधिवक्ता ने गंभीर आपत्ति उठाई कि इस अपील में इस विषय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में वादी द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट प्रत्याक्षेप आपत्ति उसकी प्रत्याक्षेप–अपील में नहीं उठाई गई है और प्रत्याक्षेप अपील केवल क्षतिपूर्ति के लिए दावे से इनकार करने तक ही सीमित है। इस प्रयोजन हेतु, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने व्य.प्र.सं. के आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत निहित प्रावधानों का आधार लिया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि प्रत्यर्थी स्वयं के पक्ष में आज्ञप्ति पारित होने के बाद भी उसके विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष के विरुद्ध प्रति आपत्ति कर सकता है।

इस संबंध में, आदेश 41 नियम 22 व्य.प्र.सं. के तहत निहित प्रावधान अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश 41 मूल डिक्रियों की अपीलें</u>

नियम 22. **सुनवाई में प्रत्यर्थी आज्ञप्ति के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसने पृथक् अपील की हो** (1) कोई भी प्रत्यर्थी, यद्यपि उसने आज्ञप्ति के किसी भाग के विरुद्ध अपील न की हो, [1][न केवल आज्ञप्ति का समर्थन कर सकेगा बल्कि यह कथन भी कर सकेगा कि निचले न्यायालय में उसके विरुद्ध किसी विवाद्यक की बाबत निर्णय उसके पक्ष में होना चाहिए था और आज्ञप्ति के विरुद्ध कोई ऐसा प्रत्याक्षेप भी कर सकेगा] जो वह अपील द्वारा कर सकता था : परन्तु यह तब जब कि उसने ऐसा आक्षेप अपील न्यायालय में उस तारीख से एक मास के भीतर जिसको उस पर या उसके प्लीडर पर अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना की तामील हुई थी, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जिसे अनुज्ञात करना अपील न्यायालय ठीक समझे, फाइल कर दिया हो।

[स्पष्टीकरण कोई प्रत्यर्थी जो निर्णय में उस न्यायालय के किसी ऐसे निष्कर्ष से जिस पर आज्ञप्ति आधारित है जिसके विरुद्ध अपील की गई है इस नियम के अधीन प्रत्याक्षेप, जहां

तक कि वह आज्ञप्ति उस निष्कर्ष पर आधारित है, इस बात के होते हुए भी फाइल कर सकेगा कि न्यायालय के किसी अन्य निष्कर्ष पर जो उस वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है विनिश्चय के कारण वह आज्ञप्ति पूर्णतः या भागतः उस प्रत्यर्थी के पक्ष में है ।]

(2) **आक्षेप का प्ररूप और उसको लागू होने वाले उपबन्ध–** ऐसा प्रत्याक्षेप ज्ञापन के प्रारूप में होगा और नियम 1 के उपबन्ध उसे वहां तक लागू होंगे जहां तक वे अपील के ज्ञापनों के प्रारूप और अन्तर्वस्तु से सम्बन्धित हैं।

[2](3) * * * *

(4) जहां किसी ऐसे मामले में जिसमें आक्षेप के ज्ञापन को प्रत्यर्थी ने इस नियम के अधीन फाइल कर दिया है, मूल अपील प्रत्याहृत कर ली जाती है या व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाती है वहां ऐसा होने पर भी वह आक्षेप जो ऐसे फाइल किया गया है, अन्य पक्षकारों को ऐसी सूचना के पश्चात् जो न्यायालय ठीक समझे, सुना और अवधारित किया जा सकेगा।

(5) निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलों से सम्बन्धित उपबन्ध इस नियम के अधीन आक्षेप को भी वहां तक लागू होंगे जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यद्यपि, हमारे समक्ष अनेक निर्णयों का हवाला दिया गया, लेकिन ***दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग*** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा आधिकारिक रूप से जो अभिनिर्धारित किया है, उसके परिपेक्ष्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसी विशिष्ट आपत्ति के बिना भी, अपीलीय न्यायालय होने के नाते, इस न्यायालय के पास वाद प्रश्न क्र. 1 के संबंध में दर्ज निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने की पूरी शक्ति और अधिकारिता है। उपर्युक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया:–

17. "हमारे दृष्टिकोण से हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 33 के प्रावधानों से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो निम्नानुसार है:–

33. अपील न्यायालय की शक्ति– अपील न्यायालय की यह शक्ति होगी कि वह कोई ऐसी आज्ञप्ति पारित करे या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित की जानी चाहिए थी या जो किया जाना चाहिए था, और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य आज्ञप्ति या आदेश पारित करे, जो मामले में अपेक्षित हो, और उस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील आज्ञप्ति के केवल भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थियों या पक्षकारों ने कोई भी अपील या आक्षेप फाइल न किया हो । और जहां प्रतीपवादों में डिक्रियां हुई हों या जहां एक वाद में दो या अधिक डिक्रियां पारित की गई हों वहां यह शक्ति सभी डिक्रियों या उनमें से किसी के बारे में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील फाइल न की गई हो:

परन्तु अपील न्यायालय धारा 35क के अधीन कोई भी आदेश किसी ऐसे आक्षेप के अनुसरण में नहीं करेगा जिस पर उस न्यायालय ने जिसकी आज्ञप्ति की अपील की गई है, ऐसा आदेश नहीं किया है या ऐसा आदेश करने से इन्कार किया है।"

18. इस प्रावधान को इस न्यायालय द्वारा **महंत धनगिर बनाम मदन मोहन** 1987 सप (एससीसी) 528 में निम्नलिखित अनुसार व्याख्या की गई है (पृष्ठ 534):

नियम 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का दायरा इतना व्यापक है कि वह न केवल अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच बल्कि प्रत्यर्थी और सह–प्रत्यर्थीगण के बीच भी किसी भी प्रश्न का निर्धारण कर सकता है। अपीलीय न्यायालय कोई भी आज्ञप्ति या आदेश पारित कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों में पारित किया जाना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय मामले की आवश्यकतानुसार अन्य आज्ञप्ति या आदेश भी पारित कर सकता है। आदेश 41 के नियम 33 में प्रयुक्त शब्द 'जैसा मामला में अपेक्षित हो' को व्यापक रूप में रखा गया है ताकि अपीलीय न्यायालय न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई भी आदेश या आज्ञप्ति पारित कर सके। ऐसी स्थिति में क्या बाध्यता होनी चाहिए? हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हम कोई उदार व्याख्या नहीं दे रहे हैं। नियम अपने आप में काफी उदार है। एकमात्र बाधा जो हम देख सकते हैं, वह यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित पक्षकारों को अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित होना चाहिए। उठाया गया प्रश्न उचित रूप से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें पूरी होती हैं, तो अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय या आज्ञप्ति के किसी भी भाग के विरुद्ध किसी भी आपत्ति पर विचार कर सकती है। अपील के किसी भी पक्ष द्वारा इस पर आग्रह किया जा सकता है। यह सच है कि नियम 33 के तहत अपीलीय न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है। लेकिन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रश्नों का निर्धारण करना न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग है। न्यायालय को तकनीकी आधार मात्र पर उस विवेक का प्रयोग करने से इनकार नहीं करना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इसलिए, भले ही प्रत्याक्षेप–अपील में वादी ने वाद प्रश्न क्र. 1 पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की सत्यता और वैधानिकता के संबंध में विशेष रूप से आपत्ति नहीं उठाया हो, फिर भी हम उक्त निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने के लिए इच्छुक हैं।

15. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि प्र.पी–10–सी के कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 की शर्त संख्या 4 और 5 पक्षों के बीच आपूर्ति के करार में अंतर्निहित थी, विचारण न्यायालय ने यह आधार लिया है कि वादी ने उन शर्तों पर लिखित रूप में कोई आपत्ति नहीं उठाई और न ही कोई कदम उठाए गए, लेकिन वादी ने इसे स्वीकार कर लिया और समय–समय पर आपूर्ति करना जारी रखा। इस प्रकार, वादी के आचरण से विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कार्य आदेश, प्र.पी–10–सी के खंड 4 और 5 आपूर्ति के करार में निहित थे।

यदि हम निविदा सूचना प्र.पी–2 तथा उसमें निर्धारित नियमों व शर्तों पर गौर करें तो उनमें से किसी में भी कार्य आदेश दिनांक 13–04–2011 में निहित खंड 4 व 5 का उल्लेख नहीं है। यह न तो

प्रतिवादीगण का मामला है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा पेश किसी अन्य जवाब, अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य और न ही वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वादी ने अपने प्रस्ताव में कार्य आदेश के खंड 4 और 5 में वर्णित ऐसे नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी।

16. निविदा आमंत्रण नोटिस सूचना प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होती है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा एक प्रस्ताव होती है। सामान्यतः, व्यापारिक लेन-देन में, चाहे निजी पक्षों के बीच हो या किसी निजी पक्ष और किसी शासकीय संस्था के बीच, प्रस्ताव को स्वीकार करने का तरीका कार्य आदेश जारी करना होता है। तथापि, यदि कार्य आदेश में कुछ नियम व शर्तें शामिल हैं, जो प्रस्ताव में शामिल नियमों व शर्तों से भिन्न हैं, तो यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 7 के तहत परिकल्पित सशर्त स्वीकृति के सादृश्य होगा।

17. त्वरित संदर्भ हेतु, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 7 निम्नानुसार है:-

> 7. प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए प्रस्थापना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण-"
>
> (1) आत्यन्तिक और अविशेषित होना ही चाहिए;
>
> (2) किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, जब तक कि प्रस्थापना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है। यदि प्रस्थापना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिगृहीत किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए, तो प्रस्थापक, उसे प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्थापना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहीत की जाए, अन्यथा नहीं। किन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहीत करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जैसा कि पूर्वोक्त प्रावधान में कहा गया है, प्रथमतः यह प्रावधान है कि किसी प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए स्वीकृति पूर्ण तथा बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। उपखण्ड (2) में यह उपबन्ध है कि जहां प्रस्ताव में वह रीति विहित की गई है जिससे उसे स्वीकार किया जाना है और स्वीकृति उस रीति से नहीं की जाती है, वहां प्रस्तावक, स्वीकृति की सूचना उसे दिए जाने के पश्चात् उचित समय के भीतर इस बात पर जोर दे सकेगा कि उसका प्रस्ताव विहित रीति से स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं; किन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह स्वीकृति को स्वीकार कर लेता है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर उक्त प्रावधान को लागू करते हुए, प्रतिवादीगण द्वारा जारी कार्य आदेश एक सशर्त स्वीकृति थी, क्योंकि कार्य आदेश का खंड 4 और 5 वादी द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय किए गए प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था।

यदि वादी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली होती, बल्कि आपूर्ति करने के लिए आगे बढ़कर इस पर कार्रवाई की होती, तो निश्चित रूप से यह वादी द्वारा कार्य आदेश की शर्तों को स्वीकार करने का मामला होता। लेकिन वर्तमान मामला ऐसा नहीं है। यह न केवल विशेष रूप से कथन किया गया है, बल्कि वादी द्वारा साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है कि जब उसे कार्य आदेश प्राप्त हुआ, तो शर्तें क्र. 4 और 5 उसे

स्वीकार्य नहीं थीं। इस संबंध में, हम वादी के वादपत्र के कंडिका क्र. 10 में की गई विशिष्ट कथनों का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:–

> "**10.** यह कि सामग्री प्रदाय आदेश दिनांक 13.04.2011 में निविदा शर्तों के विपरीत अचानक इन शर्तों को निहित करने पर वादी को आपत्ति हुई। फलतः दिनांक 13.04.2011 को उभयपक्ष ने एक करार न दिनांक 13.04.2011 निष्पादित किया जो श्रीकांत दुबे तत्कालीन सहायक आयुक्त एवं क्रेता अधिकारी, आदिवासी विकास, अम्बिकापुर एवं वादी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित थी। उक्त करार में सामग्री प्रदाय हेतु कुल 12 शर्त निर्धारित किये गये थे।"

वास्तव में, वादी ने विधिक सूचना, प्र.पी–4 की कंडिका क्र. 10 में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 13–04–2011 को कार्य आदेश प्राप्त होने पर, वादी ने इसमें निहित नियमों और शर्तों पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण उसी तिथि को पक्षकारों के बीच लिखित रूप में पृथक से करार का निष्पादन हुआ, जिसमें आपूर्ति के विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल थीं।

18. वादी फर्म के एकमात्र स्वामी राकेश बंसल, वा.सा.–1 ने भी अपने शपथ–पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के कंडिका 7 में यह कथन किया है कि दिनांक 13–04–2011 को कार्य आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने इसके नियमों व शर्तों पर आपत्ति उठाई थी, जिसके कारण उस तिथि को पक्षों के बीच अलग से करार निष्पादित किया गया। अपने प्रति–परिक्षण के कंडिका 32 में भी इस साक्षी ने दोहराया है कि उसने कार्य आदेश, प्र.पी–10–सी के खंड 4 और 5 के विरुद्ध विशेष रूप से आपत्ति उठाई थी। यह तथ्य कि कार्य आदेश जारी होने के बावजूद, उसी तिथि अर्थात 13–04–2011 को प्र.पी–8–सी के तहत पक्षों के बीच पृथक से करार निष्पादित किया गया, वादी के इस कथन की पुष्टि करता है कि वादी की आपत्ति के बाद, पक्षों के बीच एक अलग करार निष्पादित किया जाना था। उक्त करार , प्र.पी–8–सी में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

> "कलेक्टर (आदिवासी, विकास) अम्बिकापुर, द्वारा कार्यालयीन आदेश कमांक / 2851 / दिनांक 13.04.2011 के तहत् स्कूल बैग (बस्ता) कय हेतु हमारी संस्थान को जो कय आदेश दिये गये है, उसके तहत् मुझे निम्नांकित शर्ते मंजूर है"

19. यह उल्लेख किया गया है कि "दिनांक 13–04–2011 के कार्य आदेश के तहत निम्नलिखित शर्तें स्वीकार्य हैं"। तत्पश्चात, आपूर्ति की 12 शर्तें लिखित करार के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्धारित की गईं और दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित की गईं। यदि वादी को कार्य आदेश की सभी शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस तरह की शर्त के साथ अलग से करार करने का कोई कारण नहीं था। यह वास्तव में संदेहस्पद है कि किसी व्यापारिक लेन–देन में, जहां एक पक्ष करोड़ों रुपए मूल्य के माल की आपूर्ति का करार कर रहा है, वह दूसरे पक्ष को आपूर्ति की शर्तों और नियमों में एकपक्षीय रूप से परिवर्तन करने का एकाधिकार दे देगा। प्रतिवादीगण ने दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित वार्ता बैठक के अन्य कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे उनके इस कथन को बल मिले कि वादी ने कार्य आदेश की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें शर्त क्र. 4 और 5 भी शामिल हैं। इसलिए, कार्य आदेश के लिए वादी की स्वीकृति शर्तरहीत नहीं थी, जिसके कारण अंततः माल की आपूर्ति के लिए एक अलग करार हुआ। इसलिए,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

राज्य के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कार्य आदेश के रूप में सशर्त स्वीकृति स्वीकार करने वाले वादी कार्य आदेश के खंड 4 और 5 में निहित नियमों और शर्तों से बाध्य थे।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में वादी के आचरण को आधार बनाया है कि उसने लिखित रूप में कोई आपत्ति नहीं उठाई। तथापि, वादी के लिए आगे आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि जिस तारीख को कार्य आदेश जारी किया गया था, जैसा कि वादी द्वारा कहा गया और प्रमाणित किया गया था, उसने कार्य आदेश की शर्त क्र. 4 और 5 के संबंध में विशिष्ट आपत्ति उठाई थी, जिसके कारण उसी तारीख को अलग करार का निष्पादन हुआ।

यदि हम करार के प्र.पी.–8 को पढ़ें, तो इसमें कोई स्पष्ट शर्त या निहितार्थ रूप से कोई नियम व शर्तें नहीं हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि पक्षकारों ने कार्य आदेश की शर्त क्र. संख्या 4 व 5 को आपूर्ति की शर्तों का हिस्सा बनाने में सहमति व्यक्त की थी। वास्तव में, वादी के लिए आगे कोई आपत्ति उठाने का अवसर ही नहीं था, क्योंकि लिखित करार , जिसमें विशिष्ट नियम व शर्तें शामिल थीं, उसी तिथि को दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित कर दिया गया था।

20. उपर्युक्त विचारों के परिपेक्ष्य में हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रश्न क्र. 1 के संबंध में दर्ज निष्कर्ष को स्थिर रखने में असमर्थ हैं तथा इस निष्कर्ष पर आते हैं कि कार्य आदेश के खंड 4 और 5 में स्पष्ट रूप से या निहितार्थ के माध्यम से करार प्र.पी–8 में आपूर्ति की शर्तें और नियम शामिल नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ऐसा मानते हुए, हम वाद प्रश्न क्र. 2, 3 और 4 पर अपना निष्कर्ष देना अनावश्यक मानते हैं, क्योंकि ऐसा करना तभी उचित होगा जब हम यह पाएंगे कि कार्य आदेश के खंड 4 और 5 आपूर्ति की शर्तें और नियम में शामिल हैं।

22. अब हम वादी की ओर से करार के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने की रजामंदी और तत्परता के संबंध में दिए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच करेंगे।

23. कार्य आदेश को करार के साथ पढ़ने पर यह दर्शित होता है कि वादी को 90 दिवस की अवधि के भीतर 3,03,555 नग स्कूल बैग की आपूर्ति करनी थी। आपूर्ति की शर्तों, प्र.पी–8–सी से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा निर्दिष्ट मानकों और विनिर्देशों के अनुसार स्कूल बैग तैयार किए जाने थे। इसके अलावा, खंड 11 के अनुसार वादी को भारतीय शिपिंग रजिस्ट्रार, इंद्रपुरी, भोपाल (मध्य प्रदेश) से गुणवत्ता प्रमाणन प्रस्तुत करना आवश्यक था।

24. यह विधि में सुस्थापित है कि विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति का दावा करने के लिए, वादी को यह अभिवचन करते हुए प्रमाणित करना होगा कि वह विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16 (ग) के तहत अनिवार्य रूप से करार के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए हमेशा रजामंद और तत्पर था और है। इसलिए, हमें सबसे पहले इस बिन्दु पर विचार करना होगा कि क्या वादी के द्वारा किए गए अभिवचन अपक्षित विधिक अभिवचनों के अनुकूल हैं। वाद–पत्र के कंडिका क्र. 12 और 13 में यह कथन किया गया है कि कार्य आदेश प्राप्त करने के बाद वादी ने दिनांक 09–07–2011 को आपूर्ति शुरू कर कुल 1,54,162 नग स्कूल बैग की आपूर्ति की थी। यह भी कथन किया गया है कि उक्त आपूर्ति के बाद, कार्य आदेश के अनुसार, स्कूल बैगों की शेष मात्रा भी तैयार कर ली गई। लेकिन, जब प्रतिवादीगण ने शेष राशि

प्राप्त करने से इनकार करना शुरू किया, तो वादी ने पत्र दिनांक 11–07–2011 के माध्यम से प्राधिकारी से संपर्क किया, जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया जिसके बाद, उक्त पत्र को डाक के माध्यम से भेजा गया। यह भी कथन किया गया कि दिनांक 12–07–2011 को उन्होंने प्रतिवादीगण के कार्यालय में एक और पत्र भेजा, परंतु शेष स्कूल बैग की आपूर्ति से इनकार कर दिया गया। कंडिका क्र. 14 में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण को लिखित रूप से सूचित किया कि वादी ने 90 दिवस के भीतर न केवल आवश्यक मात्रा में स्कूल बैग तैयार कर लिए हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता का सत्यापन भी करवा लिया है तथा वे उसके पास उपलब्ध हैं, लेकिन प्रतिवादीगण ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा दिनांक 14–07–2011 को संशोधित कार्य आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा, वाद–पत्र के कंडिका क्र. 17 और 18 में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि दिनांक 08–07–2011 तक 1,78,555 नग स्कूल बैग भौतिक सत्यापन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा निर्दिष्ट गोदाम में आपूर्ति किए गए थे। आगे यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 08–07–2011 को कुल 1,78,555 नग स्कूल बैग अलग से सत्यापित कर दिनांक 09–07–2011 को प्रतिवादीगण के समक्ष ले जाए गए, जिनमें से 30,000 नग स्कूल बैगों में से केवल 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए गए तथा शेष 838 नग स्कूल बैग लेने से मना कर दिया गया। शेष 1,48,555 नग स्कूल बैगों को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया कि स्कूल परिसर को अस्थायी गोदाम में बदल दिया गया है, जो वास्तव में छात्रावास है, ऐसे में बैग रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वादी ने बहुत ही विशिष्ट अभिवचन किया है कि उसने आपूर्ति आदेश के अनुसार आवश्यक मात्रा में स्कूल बैग पहले ही तैयार कर लिए थे, उन स्कूल बैगों की गुणात्मक जांच कर ली गई थी और आगे कहा गया कि दिनांक 09–07–2011 तक शेष पूरी मात्रा परिदान के लिए पेश की गई थी, जिसमें से केवल 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए गए और शेष वापस कर दिए गए। इतना ही नहीं, इस आशय का विशेष कथन किया गया है कि वादी ने लिखित पत्र दिनांक 09–07–2011 के माध्यम से अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद, पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया और अंत में दिनांक 12–07–2011 को कार्यालय में फिर से एक पत्र प्रेषित किया गया कि वादी ने बैग तैयार कर लिए हैं और उनकी आपूर्ति को जानबूझकर टाला जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि वादी को 90 दिवस की अवधि के भीतर स्कूल बैग की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने का दायित्व था, जो अवधि दिनांक 12–07–2011 को समाप्त होनी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. वादी राकेश बंसल, वा.सा.–1, ने स्वयं के शपथ–पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के कंडिका क्र. 8, 9, 10, 15, 18 और 20 में कथन करते हुए अपनी रजामंदी और तत्परता प्रमाणित की है कि कार्य आदेश प्राप्त होने और करार के निष्पादन के बाद, स्कूल बैगों की पर्याप्त मात्रा यानी 1,54,162 नग स्कूल बैगों की संख्या दिनांक 09–07–2011 से पहले ही आपूर्ति की जा चुकी थी, यह अभिकथन किया गया कि शेष मात्रा न केवल तैयारी की गई थी, बल्कि इसकी गुणात्मक जांच भी की गई थी। शपथ–पत्र में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 09–07–2011 को जब शेष मात्रा यानि 1,78,555 नग स्कूल बैग प्रतिवादीगण के कार्यालय में ले जाए गए, जिनमें से केवल 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए गए और शेष बैग लेने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद वादी ने दिनांक 11–07–

2011 को एक पत्र प्रेषित किया और अस्वीकार किए जाने पर, इसे डाक के माध्यम से भेजा गया और उसके बाद आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 12-07-2011 को एक और पत्र भेजा गया। जहाँ तक दिनांक 12-07-2011 के दूसरे पत्र का सवाल है, उस पर प्राप्ति की पावती है और प्रतिवादीगण के कार्यालय द्वारा यह तथा अविवादित है। यह वादी के लिए आपूर्ति पूरी करने की अंतिम तिथि थी। उस पत्र दिनांक 12-07-2011 प्र.पी-23 में स्पष्ट लिखा था कि वादी ने न केवल स्कूल बैग की आपूर्ति की थी, बल्कि बैग तैयार करवाए थे, गुणवत्ता परीक्षण भी करवाया था तथा आपूर्ति के लिए वह स्वयं गया था।

26. वादी ने अपने प्रतिपरिक्षण के कंडिका क्र. 34 में आगे कथन किया है कि दिनांक 09-07-2011 को दोपहर में वह स्वयं बैगों को आपूर्ति हेतु गर्ल्स स्कूल के परिसर में स्थित गोदाम में ले गया था, जहां एक चौकीदार मिला और स्टोर कीपर उपलब्ध नहीं था, तथा चौकीदार ने केवल 29,162 नग स्कूल बैग स्वीकार किए और शेष वापस कर दिए गए। उन्हें सुझाव दिया गया कि आपूर्ति के समय चौकीदार के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। तथापि, वादी ने अपनी प्रतिपरिक्षण के कंडिका क्र. 35 से 37 में यह कथन किया है कि चौकीदार ने बैगों की गिनती की थी तथा दिनांक 09-07-2011 को ही वादी द्वारा प्रमाणीकरण करवा लिया गया था, जिसे सौंप भी दिया गया था, परन्तु चौकीदार ने कोई पावती नहीं दी। उन्होंने विशेष कथन किया है कि दिनांक 09-07-2011 को 1,78,555 नग बैगों की डिलीवरी मांगी गई थी, लेकिन इसका केवल एक हिस्सा ही स्वीकार किया गया और शेष वापस कर दिए गए। वादी ने अपने साक्ष्य में जो कथन किया है कि उसने दिनांक 09-07-2011 को गोदाम में आपूर्ति हेतु 1,78,555 नग बैग ली थी, वह अखंडित है।

27. जिस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से दिनांक 09-07-2011 को गोदाम में स्कूल बैग की आपूर्ति की जानी थी, उसका भी वादी द्वारा वादी साक्षी क्र. 4 के रूप में परीक्षण कराया गया, जिसने आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के अपने शपथ-पत्र में यह कथन किया है कि उसने विभिन्न तिथियों पर स्कूल बैग की आपूर्ति की थी। अपने शपथ-पत्र के कंडिका 3 में यह कथन किया है कि दिनांक 09-07-2011 को 9 ट्रकों, जिनके नम्बर भी बताए गए हैं, द्वारा लगभग 1,78,755 नग स्कूल बैग गोदाम में लाए गए, जिनमें से लगभग 29,000 नग स्कूल बैग ही स्वीकार किए गए तथा शेष बैगों को उतारने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद शेष स्कूल बैगों को जवाहर मार्केट स्थित फैक्ट्री में वापस लाकर उतार दिया गया। उनकी प्रतिपरिक्षण में यह सुझाव देते हुए उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया गया है कि उन्होंने वादी से प्राप्त परिवहन व्यय (यदि कोई हो) का कोई रजिस्टर या रसीद का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, गवाह को सुझाव दिया गया है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि परिवहन स्थानीय स्तर पर किया गया था, इसलिए रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। हालाँकि, इस साक्षी को भी कोई सुझाव नहीं दिया गया है। इस साक्षी का यह कथन कि उसने दिनांक 09-07-2011 को प्रतिवादी के गोदाम में उतारने के लिए 1,78,555 नग स्कूल बैग लाए थे, अखंडित रहा।

28. वादी राकेश बंसल, वा.सा.-1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जिस गोदाम में दिनांक 09-07-2011 को आपूर्ति के लिए शेष बैग लिए गए थे, वहाँ चौकीदार मौजूद था और जब आपूर्ति के वक्त उसने केवल 29,162 नग बैग ही स्वीकार किए और शेष बैग वापस कर दिए गए। इस साक्ष्य के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अलावा, अन्य सभी साक्ष्य अखंडित हैं। हमारे निष्कर्ष के अनुसार प्रतिवादीगण ने वादी के साक्ष्य और मामले के खंडन में उक्त चौकीदार का परीक्षण नहीं कराया है कि दिनांक 09-07-2011 को स्कूल बैग की शेष मात्रा आपूर्ति करने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, प्रतिवादी द्वारा गोदाम में बनाए गए किसी भी रजिस्टर को सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी शासकीय कर्मचारी हैं और शासकीय कार्यालयों/गोदामों में सभी कार्य संचालित करते हैं, जहां सामान्यतः अभिलेख, नोटशीट, फाइलें और रजिस्टर रखे जाते हैं। इस मामले से संबंधित गोदाम रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया है। अतः, परिस्थितियों के परिशीलन के पश्चात, वादी का दावा कि यद्यपि स्कूल बैगों की पूरी शेष मात्रा अर्थात् 1,78,555 नग बैगों को दिनांक 09-07 2011 को गोदाम में पहुंचाने की मांग की गई थी, लेकिन केवल 29,162 नग बैग स्वीकार किए गए और शेष बैगों को बिना उतारे वापस कर दिया गया, प्रतिवादीगण के कथन की तुलना में अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है कि वादी ने स्कूल बैगों की शेष मात्रा के साथ न तो प्रतिवादीगण और न ही उनके गोदाम से संपर्क किया।

29. वादी की ओर से रजामंदी और तत्परता के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को भी यह कहकर चुनौती दी गई है कि वादी यह दावा करने और ठोस सबूतों से प्रमाणित करने में विफल रहा है कि उसके द्वारा तैयार किए गए बैगों का दिनांक 08-07-2011 को या उससे पहले गुणात्मक परीक्षण और निरीक्षण किया गया था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, भारतीय नौवहन रजिस्टर के अंतिम दो प्रमाण-पत्रों, प्र.पी-19-सी और प्र.पी-20-सी में दिनांक 178/07/2011 अंकित है, जिसका अर्थ है कि वादी के पास दिनांक 12-07-2011 से पहले सुसंगत प्रमाण-पत्र नहीं थे और इस प्रकार, वादी का यह दावा कि उसने दिनांक 09-07-2011 को गुणवत्ता प्रमाण-पत्रों के साथ स्कूल बैगों की शेष मात्रा वितरित करने का प्रयास किया था, विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हमने पाया कि दोनों प्रमाण-पत्रों, प्र.पी-19 और प्र.पी-20 में दिनांक के रिक्त स्थान पर "178/07/2011" उल्लेखित है। निश्चित रूप से यह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के संबंध में संदेह पैदा करता है, क्योंकि इसमें जारी करने की तारीख न तो 17 जुलाई है और न ही 8 जुलाई, परंतु दोनों दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामग्री का निरीक्षण दिनांक 08-07-2011 को किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया था। प्र.पी-19 में, 30,000 नग स्कूल बैगों को दिनांक 08-07-2011 को निरीक्षण किए जाने और संतोषजनक पाए जाने के रूप में प्रमाणित किया गया है। दूसरे प्रमाण पत्र प्र.पी-20 में निरीक्षण की तिथि 08-07-2011 लिखी गई है तथा निरीक्षण की गई एवं संतोषजनक पाई गई मात्रा 1,78,555 नग बताई गई है। ये दोनों दस्तावेज वास्तव में शेष मात्राओं के संबंध में दो प्रमाण-पत्र हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। दोनों पक्षों के बीच यह अविवादित है कि गुणवत्ता परीक्षण विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच के आधार पर किया गया था। इसलिए, इन दोनों दस्तावेजों से, इनमें की गई टिप्पणी के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रमाणीकरण/निरीक्षण दिनांक 08-07-2011 को किया गया था और संतोषजनक पाया गया था, यदि कोई संदेह था, तो वह अभिषेक शर्मा, वा.सा.-6, जो एक निजी लेखा परीक्षक हैं, के साक्ष्य से के साहू हल हो गया है, जिसे शिपिंग कंपनी के भारतीय रजिस्ट्रार, भोपाल द्वारा नियुक्त किया गया था, जो गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एजेंसी है, जिसे स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित किया गया था। अपने साक्ष्य में उन्होंने यह प्रमाणित

किया है कि बैगों के निरीक्षण के लिए वे अंबिकापुर आए थे और निरीक्षण रिलीज नोट, प्र.पी–16–सी, प्र.पी–17–सी, प्र.पी–18–सी, प्र.पी.19–सी और प्र.पी–20 जारी किए थे। उन्होंने उक्त दस्तावेजों में अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उन्होंने आगे यह भी कथन किया है कि वे दिनांक 07–06–2011, 20–06–2011 और 08–07–2011 को अंबिकापुर आए थे और बैगों की जांच के बाद नोट को कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने आगे यह कथन किया है कि बैग मानक मापदंडों के अनुरूप हैं। उन्होंने विभिन्न खेपों में उनके द्वारा परीक्षण किये गये बैगों की संख्या का भी सत्यापन किया है। अपनी प्रतिपरिक्षण में उन्होंने कथन किया है कि निरीक्षण विभिन्न खेपों में बैगों के यादृच्छिक चयन के आधार पर किया गया था, जबकि कंडिका क्र. 9 और 13 में उन्होंने स्वीकार किया कि प्र.पी–19–सी और प्र.पी–20 में 178/07/2011 का उल्लेख है। अपने बयान के कंडिका क्र. 14 में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि प्र.पी–20 दिनांक 17–07–2011 को जारी किया गया था। उन्होंने दोहराया कि यह केवल दिनांक 08–07–2011 को जारी किया गया था और 178/07/2011 का उल्लेख टाइपोग्राफिकल त्रुटि हो सकती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वादी फर्म के प्रभाव में आकर उन्होंने गलत तरीके से तारीख दिनांक 08–07–2011 अंकित की है। अभिषेक शर्मा, वा. सा–6 प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण एजेंसी के अधिकृत निरीक्षक हैं। प्रतिवादीगण ने कोई अभिवचन नहीं किया हैऔर न ही कोई साक्ष्य पेश किया है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा, वा. सा.–6 द्वारा जारी गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दिया है। उन्हें ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि दिनांक 08–07–2011 को कोई निरीक्षण नहीं किया गया। इस प्रकार वादी के विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अंतिम निरीक्षण दिनांक 08–07–2011 को किया गया था। चूंकि अभिषेक शर्मा, वा.सा.–6 ने अपने साक्ष्य में, जो विश्वसनीय है, जोर देते हुए कथन किया है कि प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि के संबंध में यदि कोई संदेह है, तो उसका निष्कर्ष वादी के पक्ष में किया जाना चाहिए कि प्रमाण–पत्र वास्तव में दिनांक 08–07–2011 को जारी किए गए थे, न कि प्रतिवादीगण के पक्ष में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, हमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिली कि वह करार के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए रजामंद और तत्पर था। अंत में, क्षतिपूर्ति के संबंध में वादी के दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है, क्योंकि वादी को शेष स्कूल बैग की आपूर्ति पर विलंबित भुगतान पर 10% की दर से ब्याज के साथ विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दिया गया है। वादी ने विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञप्ति का निवेदन और साथ ही विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष नहीं मिलने की स्थिति में वैकल्पिक अनुतोष के रूप में क्षतिपूर्ति का दावा किया है। इसलिए, वादी की प्रत्याक्षेप अपील भी अस्वीकार/खारिज करने योग्य है।

31. परिणामस्वरूप, हमें प्रत्यर्थी–वादी के पक्ष में तथा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति की पुष्टि की जाती है। तदनुसार, अपील और प्रत्याक्षेप अपील दोनों को खारिज किया जाता है। अपील का व्यय पक्षकारों को स्वयं वहन करना होगा। तदनुसार अपीलीय आज्ञप्ति तैयार की जाए।

सही /–	सही /–
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव	गौतम चौरडिया
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur